रजिस्ट्री सं० डी०—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 14, 1984 (चैत्र 25, 1906)

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 14, 1984 (CHAITRA 25, 1906)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं .	387
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	405
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं . .	533
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश . . .	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	7847
भाग III—खंड 2—पैटेंट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस . .	225
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्त के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	31
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1411
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस . .	61
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई ।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	387
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	465
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	533
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	7847
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	225
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	31
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1441
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	61
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 1984

सं० 37-प्रेज/84—राष्ट्रपति दिल्ली पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री ए० के० अग्रवाल,
पुलिस उपायुक्त,
नई दिल्ली ।

श्री उज्ज्वल मिश्र,
सहायक पुलिस आयुक्त,
नई दिल्ली ।

श्री रूप चन्द,
पुलिस निरीक्षक,
नई दिल्ली ।

श्री जगपाल सिंह,
पुलिस निरीक्षक,
नई दिल्ली ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

23 मार्च 1983, को दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारी संघ ने हड़ताल का आवाहन किया । यद्यपि सरकार के साथ बातचीत की गई किन्तु वह अन्ततः सफल नहीं हुई । यह निर्णय किया गया कि चूंकि हड़ताल अवैध थी इसलिए दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की सहायता से जितनी अधिक हो सकें, बसें सड़कों पर चलाई जाएं । 23 मार्च, 1983 को प्रातः पुलिस उपायुक्त श्री ए० के० अग्रवाल सहायक पुलिस आयुक्त श्री उज्ज्वल मिश्र ने अन्य बलों के साथ बसों को शेड से बाहर निकालने का आदेश दिया । इस अवस्था में हड़ताली कर्मचारी हिंसा पर उतर आए और उन्होंने पुलिस दल पर पत्थर फेंकने आरम्भ कर दिए । श्री ए० के० अग्रवाल ने प्रबन्धों को सुनियोजित किया और अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम के 7 डिपों पर बल तैनात कर दिया । उन्होंने सभी डिपों का दौरा किया और सम्बन्धित डिपो प्रबन्धकों से समस्या के बारे में विचार विमर्श किया ।

वे बसंत विहार डिपो पहुंचे जहां दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारी बैठे हुए थे और डिपो से किसी बस को बाहर निकालने नहीं दे रहे थे । उन्होंने आन्दोलनकारी कर्मचारियों से तर्क किया और उनको शान्तिपूर्वक रहने के लिए कहा । कर्मचारी उत्तेजित हो गए और उन्होंने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए । पुलिस ने भी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में कुछ गोलियां चलाईं लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ । पथराव के दौरान श्री अग्रवाल के सिर और आंख पर चोट लगी और उनको अस्पताल ले जाया गया । श्री मिश्र, जो पीछे रह गए थे, ने कुछ वाहनों को जलने से बचाने का प्रयास किया जिनको क्रुद्ध भीड़ ने आग लगा दी थी । श्री रूप चन्द और श्री जगपाल सिंह, दोनों पुलिस निरीक्षक, वीरता से लड़े जबकि भीड़ ने उन्हें [illegible] था । वे यह सुनिश्चित करने के लिए डटे रहे कि अन्य व्यक्ति पीछे हट जाएं और सुरक्षित तथा लाभप्रद मोर्चा सम्भाल लें । ताकि जवाबी कार्यवाही की जा सके और हिंसा रोकी जा सके । अन्तत श्री रूप चन्द और श्री जगपाल सिंह, निरीक्षक बेहोश होने लगे । उनको सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया और हड्डी टूटने, सिर की चोटों और अन्य घावों का उपचार किया गया । इसके बाद कुमुक ले जाई गई और स्थिति को नियंत्रणाधीन किया गया ।

हिंसक भीड़ के सामने श्री ए० के० अग्रवाल, पुलिस उपायुक्त, श्री उज्ज्वल मिश्र, सहायक पुलिस आयुक्त, श्री रूप चन्द, पुलिस निरीक्षक और श्री जगपाल सिंह, पुलिस निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, कर्तव्यपरायणता और साहस का परिचय दिया ।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 23 मार्च 1983, को दिया जाएगा ।

दिनांक 31 मार्च 1984

सं० 38-प्रेज/84—राष्ट्रपति असम पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं ।

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री जी० एम० श्रीवास्तव
पुलिस अधीक्षक,
कामरूप,
असम,

श्री गोलप चन्द्र बरकाकोटी,
पुलिस निरीक्षक,
भरालुमुख
कामरूप,
असम ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

विदेशियों के विवाद को लेकर अखिल असम छात्र संघ और अखिल असम गण संग्राम परिषद् ने आन्दोलन के रूप में राज्य में सामान्य जीवन को ठप्प करने की दृष्टि से 19 नवम्बर, 1981, को 36 घंटे के असम बंद का आह्वान किया । राज्य सरकार ने बंद की अवधि के दौरान सड़क, रेल, वायु, यातायात को चालू रखने और कार्यालयों आदि को खुला रखने का निर्णय किया । अपनी रणनीति के एक भाग के रूप में उग्रवादियों ने बहुत उच्च शक्ति के दो बम रखे जिनमें से एक के० एम० 4/9-10 में पुलिया सं० 53 के नीचे फ्यूज को तार लगाकर गाड़ा गया था और दूसरा के० एम० 5/6 पर गोहाटी और कामख्या रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन

के नीचे रखा गया था । इनके साथ विद्युत प्रवर्तक/उत्प्रेरक सहित दबाव यंत्र थे । पहला पुलिया को तोड़ने के लिए था और दूसरा यात्रियों को ले जा रही रेलगाड़ी को उड़ा देने के लिये रखा गया था क्योंकि उस यंत्र को इंजिन के पहियों द्वारा क्रियाशील होना था जिससे सम्पर्क सर्किट पूरा हो जाता । बमों का पुलिस के गश्ती दल और ड्यूटी पर तैनात गैंगमैन द्वारा समय से पता लगा लिया गया ।

2. सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक श्री जी० एम० श्रीवास्तव, अपर पुलिस महानिरीक्षक और उपायुक्त कामरूप के साथ घटना स्थल पर गया । सुरक्षित दूरी पर रहकर यंत्र का तथा मौके का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने निरीक्षक गोलप चन्द्र बरकाकोटी को चुना और पुलिया के नीचे से बम हटाने और उसका फ्यूज हटाने के लिए संक्षेप में बताया गया । श्री बरकाकोटी ने बम का फ्यूज हटाया और उसे उस स्थान से दूर कर दिया । श्री श्रीवास्तव ने ढक्कन को हटाया और दूसरे बम को खोला । फिर उन्होंने निरीक्षक बरकाकोटी की सहायता से बैटरी का कनैक्शन और विद्युत कनैक्शन को काटा । दो बमों के फ्यूज हटाकर वे घोर विपत्ति को रोकने में सफल हो गए जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जाने जा सकती थी और राष्ट्रीय सम्पत्ति की हानि हो सकती थी । घटना स्थल पर मौजूद विस्फोटक विशेषज्ञ इस यंत्र को हाथ में लेने से हिचक रहे थे क्योंकि उसकी प्रकृति बहुत स्पष्ट नहीं थी, और ऐसी वस्तु को हाथ लगाना बहुत जोखिम का कार्य था क्योंकि वह मानक किस्म की नहीं थी और उसमें जो विस्फोटक पदार्थ था उससे वे अनभिज्ञ थे ।

बमों के फ्यूज को हटाने की प्रक्रिया में पुलिस अधीक्षक श्री जी० एम० श्रीवास्तव और पुलिस निरीक्षक श्री गोलप चन्द्र बरकाकोटी ने उत्कृष्ट वीरता और साहस का परिचय दिया ।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 19 नवम्बर, 1981 से दिया जाएगा ।

सं० 39-प्रेज-84—राष्ट्रपति राजस्थान पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री गोपाला राम,
पुलिस उप-निरीक्षक,
जिला गंगानगर,
राजस्थान ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

24/25 जुलाई, 1981, की रात को चोरी किए गए वाहनों की जांच करने के लिए रतनपुरा गांव के चौराहे पर "नाकाबंदी" करते हुए, श्री गोपाला राम, पुलिस-निरीक्षक, ने बन्दूक की गोलियों की आवाज सुनी । उन्होंने देखा कि तीन व्यक्ति ट्रैक्टर पर आ रहे थे । उन्होंने [illegible] से वाहन को रोकने के लिए कहा लेकिन उपद्रवियों ने पुलिस दल पर गोलियां चलाई और हनुमान गढ़ की ओर भागने लगे । उपद्रवियों ने उस रात को हत्या की थी और डकैती डालने का इरादा कर रहे थे । पुलिस ने एक निजी जीप में ट्रैक्टर का पीछा किया । पुलिस और उपद्रवियों के बीच गोली चली जिसमें जीप का चालक मारा गया । कुछ दूर जाने के बाद उपद्रवियों ने ट्रैक्टर को रोक दिया और इसके पीछे से मोर्चा सम्भाला । उन्होंने पुलिस दल पर गोलियां चलायीं लेकिन गोलियां जीप की सीट और पिछले हिस्से पर लगीं । श्री गोपाला राम उपद्रवियों पर गोलियां चलाते रहे और उन्हें घेरे रखा तथा भागने नहीं दिया । उन्होंने 26 गोलियां चलाईं । 1.30 बजे प्रातः उपद्रवी उधर से गुजर रहे ट्रकों की आड़ लेकर भाग गए । श्री गोपाला राम ने कुमुक के लिए पुलिस अपर अधीक्षक और पुलिस उप-अधीक्षक को सन्देश भेजा । उनकी गांव मलखेड़ा के नजदीक डाकुओं के साथ फिर मुठभेड़ हुई । इस समय तक ने कुमुक पहुंच चुकी थी । उपद्रवियों ने एक ऊंट और ट्रैक्टर को पकड़ा और दौलतपुर की ओर भाग गए । पुलिस अपर अधीक्षक ने अपनी जीप में उपद्रवियों का पीछा किया । पुलिस दल को दो भागों में विभाजित किया गया । श्री गोपाला राम को पुलिस उप-अधीक्षक के नेतृत्व वाले दल में रखा गया । पुलिस अपर अधीक्षक चक्करदार मार्ग से गए और अपनी जीप को उपद्रवियों के ट्रैक्टर के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया । डकैत मनीराम थोरी को गिरफ्तार किया गया ।

इस मुठभेड़ में श्री गोपाला राम, पुलिस उप-निरीक्षक, ने उपद्रवियों को पकड़ने में सराहनीय साहस और उत्कृष्ट वीरता और कारनामों का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 जुलाई, 1981 से दिया जाएगा ।

सं० 40-प्रेज/84—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री बच्चन सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल सं० 436,
पान्डोखेर,
ग्वालियर,
मध्य प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया

6 मई, 1980, को कान्स्टेबल बच्चन सिंह अपना दिन का कार्य समाप्त करने के बाद पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे थे । शिव सिंह नामक एक व्यक्ति और लगभग 5—6 उसके साथी पुलिस स्टेशन के नजदीक शिव सिंह के घर पर एकत्रित हुए । षडयंत्र के इरादे से उन्होंने घटनाओं का सिलसिला इस प्रकार से बनाया कि पुलिस स्टेशन के एच० सी० एम० को सूरज छिपने के बाद शिव सिंह के घर जाने के लिए फुसलाया । उन्होंने एच० सी० एम० को चाकू घोंप कर हत्या कर दी और उसके कब्जे से मालखाने की चाबियां निकाल ली । वे थाने में ड्यूटी पर तैनात संतरी को अपना स्थान छोड़ने के लिए उसे [illegible] उसे अपने वश में कर लिया, उसकी बन्दूक छीन ली और एक और हत्या

करदी। "मालखाने की चाबी लेकर, संतरी पर निगरानी रखी गयी और थाने से किसी प्रतिरोध की उम्मीद न करते हुए उक्त बदमाशों ने सभी दिशाओं में अंधाधुंध गोलियां चलाकर पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। गोलियों की बौछार से थाने में मौजूद व्यक्ति निरस्त्र होने के कारण अपनी जान बचाने के लिए हड़बड़ा कर भाग पड़े। श्री बच्चनसिंह ने सभी विषम परिस्थितियों के होते हुए और पूरी तरह यह जानते हुए कि उसका जीवन खतरे में था, डकैतों को ललकारा। श्री बच्चन सिंह को डकैतों ने गोली मार दी।

श्री बच्चन सिंह कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, कर्तव्य परायणता और साहस का परिचय दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 मई, 1980, से दिया जाएगा।

सं० 41-प्रेज/84—राष्ट्रपति मणिपुर राइफल्स के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री यार्गविगम तंगखुल,
जमादार,
जे० सी० नं० 181,
द्वितीय बटालियन,
मणिपुर राइफल्स,

श्री चौंगखोलेट कुकी,
हवलदार सं० 13228,
प्रथम बटालियन,
मणिपुर राइफल्स,

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

17 जुलाई, 1983 को इम्फाल जिले की पुलिस द्वारा एक जेल से भागे सोरायशाम इबोन्चा उर्फ इबोचा उर्फ बांगलेन की गिरफ्तारी के परिणाम स्वरूप पुलिस ने बांगलेन के बताने पर प्रेपाक के अन्य खतरनाक उग्रवादियों के साथ काफी मात्रा में शस्त्र और गोलाबारूद बरामद किया। बांगलेन से आगे पूछताछ के दौरान उसने एक निभृत स्थान, जहां प्रेपाक सदस्यों का एक दल परिष्कृत शस्त्र तथा गोला बारूद के साथ पड़ाव डाले हुए थे, के बारे में बताया। इस सूचना पर जमादार यारविगम तंगखुल ने एक पुलिस दल गठित किया और उग्रवादियों के निभृत स्थान की ओर गया। निभृत स्थान के चारों ओर खुले तथा लम्बे-चौड़े धान के खेत थे। सारा पुलिस दल उग्रवादियों के उत्कृष्ट हथियारों से घिर गया था। पुलिस दल विषमताओं के बावजूद जमादार यारविगम तंगखुल और हवलदार चोंगखोलेट कुकी गोलियों के बीच रेंग कर आगे बढ़े और जवाब में गोली चलाई। दो उग्रवादी गोलियों से जख्मी हो गए और घटना स्थल पर मर गए। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने उग्रवादियों के निभृत स्थान की ओर गोलियां चलाईं। परन्तु शेष उग्रवादी झाड़ियों के बीच से बच कर भाग गए। निभृत स्थान के भीतर से कुछ हथियार और गोलाबारूद बरामद किए गए।

इस कार्रवाई में जमादार यारविगम तंगखुल और हवलदार चौंगखोलेट कुकी ने उत्कृष्ट वीरता, नेतृत्व और कर्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

2. ये पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 जुलाई, 1983 से दिया जाएगा।

मु० नीलकण्ठन,
राष्ट्रपति का उप सचिव

योजना मंत्रालय

सांख्यिकी विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 23 मार्च 1984

सं० ए०-13016/2/83—समन्वय—इस विभाग के दिनांक 3 अक्तूबर, 1983 का विभागीय अधिसूचना सं० 13016/2/83—समन्वय में आंशिक आशोधन करते हुए विशेषज्ञ समिति जिसका गठन केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा करने तथा इस की गुणता एवं यथार्थता का मूल्यांकन करने और इसमें सुधार हेतु विशेष सुझाव देने के लिए किया गया है, की अवधि आगामी 30-6-1984 तक के लिए बढ़ाया गया है।

ज्ञानेश्वर कुमार गुप्ता
उप सचिव

(औद्योगिक विकास विभाग)

तकनीकी विकास महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 1984

संकल्प

सं० डी० डब्ल्यू० आई०-64(81)/डब्ल्यू० पी०—भारत सरकार ने इस संकल्प के जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए काष्ठ उद्योगों की विकास तालिका का निम्न प्रकार से गठन करने का निर्णय किया है :—

1. श्री एन० बिस्वास, उप महानिदेशक, तकनीकी विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली-110011। —अध्यक्ष
2. श्री बी० सहाय, संयुक्त सचिव, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली-110011। —सदस्य
3. श्री ए० एन० राव, औद्योगिक सलाहकार, तकनीकी विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली-110011। —सदस्य
4. श्री पी० पी० खन्ना, विकास आयुक्त, लघु उद्योग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011। —सदस्य

5. प्रतिनिधि, —सदस्य
योजना आयोग,
नई दिल्ली ।

6. श्री सी० एस० भाटिया, —सदस्य
वन महानिरीक्षक,
कृषि मंत्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली—110011 ।

7. प्रतिनिधि, —सदस्य
पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय,
नई दिल्ली ।

8. निदेशक, —सदस्य
भारतीय प्लाईवुड उद्योग,
अनुसंधान संस्थान, पो० बा० 2273
टुमकुर रोड, बंगलौर—560022 ।

9. प्रतिनिधि, —सदस्य
भारतीय मानक संस्थान,
नई दिल्ली ।

10. अध्यक्ष, —सदस्य
फैडरेशन आफ इण्डियन प्लाईवुड
एवं पेनल उद्योग,
इन्द्रा पैलेस, एच ब्लाक, कनाट प्लेस,
नई दिल्ली ।

11. अध्यक्ष, —सदस्य
प्लाईवुड निर्माता एसोसिएशन,
पश्चिमी बंगाल,
22, स्ट्रांण्ड रोड,
कलकत्ता—700001 ।

12. अध्यक्ष, —सदस्य
पार्टिकल बोर्ड निर्माता एसोसिएशन,
9—वालेस स्ट्रीट,
फोर्ट, बम्बई—400001 ।

13. श्री अरविन्द जोली, —सदस्य
मै० अनिल हार्डबोर्ड लिमिटेड,
लक्ष्मी बीमा बिल्डिंग,
पहली मंजिल, सर पी० एम० रोड,
बम्बई—400001 ।

14. श्री पी० डी० चितलांगिया, —सदस्य
मै० भारत प्लाईवुड उद्योग लिमिटेड,
जेपोर, असम ।

15. प्रतिनिधि, —सदस्य
अण्डमान प्लाईवुड निर्माता एसोसिएशन,
(श्री बी० के० खेतान)
मार्फत मै० अण्डमान टिम्बर उद्योग लिमिटेड,
पोर्ट ब्लेयर, अण्डमान ।

16. श्री एच० बामसन, —सदस्य
मै० सीतापुर प्लाईवुड निर्माता लिमिटेड
उत्तर प्रदेश ।

17. श्री अब्बास एम० बाघ, —सदस्य
प्रबन्ध निदेशक,
मै० डेकोरेटिव लिमिनेटस्
(भारत) प्राइवेट लिमिटेड ।
नेलसन रोड बेलवाड़ी,
मैसूर—570005 ।

18. श्री टी० के० जैकब, —सदस्य
मै० विनियर्स एव लैमिनेसनस्,
कोचिन (केरल)

19. श्री पी० सी० मेहता, —सदस्य सचिव
विकास अधिकारी,
तकनीकी विकास महानिदेशालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली—110011 ।

2. तालिका के विचारार्थ विषय निम्नलिखित है :—

(1) प्लाईवुड एव अन्य सम्बद्ध उद्योगों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना, उनका भावी विकास, मांग का अनुमान और भावी आवश्यकताओं के अनुसार उद्योग की अभिवृद्धि तथा विकास के लिए सिफारिश करना;

(2) उपर्युक्त उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी के स्तर का मूल्यांकन करना और उसे अपेक्षित स्तर तक बढ़ाने के बारे में अभ्युपायों का सुझाव देना और आधुनिकीकरण के अभ्युपायों को सुझाना, डिजाइनों/प्रक्रियाओं के विकास के बारे में भी सुझाव देना ।

(3) उत्पाद की विविधताओं और आकारों की समानताओं के लिए अभ्युपाय सुझाना और उद्योग में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल, अवयवों, उपभोग सामान आदि की विविधताओं व आकारों के लिए अभ्युपाय सुझाना ।

(4) सामग्री एवं ऊर्जा उपभोग के मानदण्डों के लिए सलाह देना, उसमें कमी लाने के प्रयास और दक्षता व उत्पादकता के सुधार के बारे में अभ्युपायों की सिफारिश करना ।

(5) विभिन्न उद्योगों के लिए आर्थिक व अपेक्षित उत्पादन स्तर के बारे में सलाह देना ।

(6) उत्पाद तथा उसके लिए कच्चे माल, अवयव के आयात-प्रतिस्थापन के लिए अभ्युपाय सुझाना ।

(7) निर्यात प्रवर्धन के तरीकों पर सुझाव देना ।

(8) उद्योगों के विकास एवं उन्नति के हित में तालिका द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य पहलुओं पर सुझाव देना ।

और (9) उद्योगों के क्षेत्रीय विकास के नमूनों के बारे में सलाह देना जिसमें कच्चे माल की आपूर्ति एवं उपभोग के क्षेत्र भी शामिल है ।

आदेश :—

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए । यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एस० डी० चतुर्वेदी, निदेशक (प्रशासन)

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 1984

संकल्प

विषय :—30-9-1984 तक राष्ट्रीय शिक्षक आयोग का जारी रहना ।

सं० एफ० 7-13/84-पी० एन०-1—शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के दिनांक 16-2-83 के संकल्प सं० एफ० 23-1-81 पी० एन०2 के पैरा 4 के अनुसार भारत सरकार ने दो राष्ट्रीय शिक्षक आयोगों को 30-9-84 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है ।

आदेश :—

आदेश है कि संकल्प की एक प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश है कि साधारण सूचना के लिए संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एन० पी० सिन्हा, अवर सचिव

सिंचाई मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 1984

संकल्प

सं० 19(2)/82-परि० तीन—इस मंत्रालय के दिनांक 18 अगस्त, 1982 के संकल्प सं० 19(2)/82-परि० तीन के क्रम में निदेशक, हिम-स्खलन अध्ययन इस्टेब्लिशमेंट, रक्षा अनुसंधान संगठन को जल-विज्ञान पर उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति के सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय किया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, उपक्रमों, राष्ट्रपति के सचिव तथा मंत्रिमंडल सचिवों, प्रधान मंत्री के कार्यालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, योजना आयोग तथा केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए तथा राज्य सरकारों से इसे आम सूचना के लिए राज्य के राजपत्रों में प्रकाशित करने के लिए अनुरोध कर दिया जाए।

के० आर० चन्द्रशेखरन, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 28th March 1984

No. 37-Pres/84.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Delhi Police :—

Name and rank of the officers

1. Shri A. K. Agrawal,
   Deputy Commissioner of Police,
   New Delhi.

2. Shri Ujjwal Mishra,
   Assistant Commissioner of Police,
   New Delhi.

3. Shri Roop Chand,
   Inspector of Police.
   New Delhi.

4. Shri Jagpal Singh,
   Inspector of Police,
   New Delhi.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 23rd March, 1983, the Delhi Transport Corporation Workers' Union gave a call for strike. Though the talks were held with the Government yet these eventually failed. It was decided that as the strike was illegal, efforts might be made to ply as many buses on the road as possible with the help of DAC Workers. On the morning of 23-3-1983, Shri A. K. Agrawal, Deputy Commissioner of Police and Shri Ujjwal Mishra, Assistant Commissioner of Police, alongwith other Police force ordered for the out-shedding of buses. At that stage the striking workers became violent and started throwing stones on the police party. Shri A. K. Agrawal planned his arrangements and force was deployed at the seven DTC Depots under his jurisdiction. He went round all the depots and discussed the problems with the concerned Depot Managers.

Shri Agrawal reached Vasant Vihar Depot where DTC Workers were squatting and were not allowing any bus to be out-shedded from the Depot. He argued with the agitating workers and asked them to remain peaceful. The workers became agitated and they started brick-batting on the police. The police also fired a few rounds in the air to disperse the mob but of no avail. During the brick-batting, Shri Agrawal was hit on the head and the eye and was removed to the hospital. Shri Mishra, who remained behind, tried to save a few vehicles from burning which were set on fire by irate mob. Shri Roop Chand and Shri Jaspal Singh, Inspectors of Police, fought bravely even when they were pinned to the ground and beaten mercilessly by the crowd. They stood their ground to ensure that others could retreat and take a position of safety and advantage to retaliate and stop the violence. Finally, Shri Roop Chand and Shri Jagpal Singh, Inspectors, started losing consciousness. They were removed to Safdarjang Hospital and were hospitalised with fractures, head injuries and other wounds. Subsequently, reinforcements were brought and situation was brought under control.

In the face of violent mob Shri A. K. Agrawal, DCP, Shri Ujjwal Mishra, ACP, Shri Roop Chand, Inspector of Police, and Shri Jagpal Singh, Inspector of Police, exhibited conspicuous gallantry, devotion to duty and courage.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5 with effect from the 23rd March, 1983.

The 31st March 1984

No. 38-Pres./84—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Assam Police :—

Names and rank of the officers

Shri G. M. Srivastava,
Supdt. of Police,
Kamrup, Assam.

Shri Golap Chandra Barkakoti,
Bharalumukh,
Kamrup, Assam.

Statement of services for which the decoration has been awarded

As a part of the agitation on the foreigners issue, a call for 36 hours Assam Bandh was given on the 19th November, 1981 by All Assam Students Union and All Assam Gana Sangram Parishad with a view to paralysing normal life in the State. The State Government decided to keep the road, rail, air-traffic running and offices etc. open during the Bandh period As a part of their strategy, the extremists managed to plant two very high powered bombs-one filled with fuse wire below the culvert No. 53 in K.M. 4/-9-10 and the other below a railway line at K.M. 5/6 between Gauhati and Kamakhya Railway Stations, having pressure mechanism with electrical initiator/activiser device. The first one was meant to below off the culvert whereas the other one was placed with a design to blow off the train carrying passengers as the device was to be activised by pressure of the wheels of the engine which would have completed the contact circuit. The bombs were detacted timely by the Police patrol party and gangman on duty.

On receipt of the information Shri G. M. Srivastava, Supdt. of Police alongwith Addl. IG Police and D. C. Kamrup, visited the spot. After careful study of the device and location from safe distance he selected Inspector Golap Chandra Barkakoti, briefed him for defusing and removing the bomb from under the culvert. Shri Barkakoti defused the bomb and removed it from the place. Shri Srivastava removed the cover and exposed the second bomb. He, then with the help of Inspector Barkakoti, disconnected the battery and electrical connections. By defusing the two bombs, they were able to avert what could have been a disaster involving loss of lives of numerous people and national property. The Explosive Experts present at the site were hesitant to handle the device as its nature was not very clear and that it involved high risk to handle and article which was not of the standard pattern and with unidentified explosive.

In the process of defusing the bombs, Shri G. M. Srivastava, Supdt. of Police and Shri Golap Chandra Barkakoti, Inspector of Police, exhibited conspicuous gallantry and courage.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 19th November, 1981.

No. 39 Pres./84.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Rajasthan Police:—

Name and rank of the officer

Shri Gopala Ram,
Sub-Inspector of Police,
Ganganagar, Rajasthan

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the night of 24th 25th July, 1981 while organising 'Nakabandi' at the crossing of village Rattanpura in order to check the stolen vehicles, Shri Gopala Ram, Sub-Inspector of Police, heard some gun shots. He saw three persons coming on a tractor and asked the driver to stop the vehicle but the miscreants fired at the police party and rushed towards Hanumangarh. The miscreants had committed murder on that night and were intending to commit a dacoity. The police chased the tractor in a private jeep. There was exchange of fire between the police and the miscreants in which the driver of the jeep was killed. After covering some distance, the miscreants stopped the tractor and took up position behind it. They fired at the police party but the shots hit the seat and rear of the jeep. Shri Gopala Ram continued firing on the miscreants and kept them pinned down and did not allow them to escape. He fired as many as 26 rounds. At 4.30 AM the miscreants escaped by taking cover of the passing trucks. Shri Gopala Ram sent a message to Addl. Supdt. of Police and Dy. Supdt. of Police for reinforcement. They had another encounter with the miscreants near village Malkheda. By this time reinforcement had arrived. The miscreants forcibly seized a camel and a tractor and escaped towards Daulatpura. The Addl. Supdt. of Police chased the miscreants in his jeep. The Police party was divided into two groups. Shri Gopala Ram was included in the police party led by Deputy Supdt. of Police. The Addl. Supdt. of Police took a detour and positioned his jeep in front of the tractor of the miscreants. Decoit Mani Ram Thori was arrested.

In this encounter Shri Gopala Ram, Sub-Inspector of Police, exhibited conspicuous gallantry, commendable courage and efforts in apprehending the miscreants.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 25th July, 1981.

No. 40-Pres./84.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry (Posthumous) to the undermentioned office of the Madhya Pradesh Police:—

Name and rank of the officer

Shri Bachan Singh, (Posthumous)
Constable No. 436
Pandokher,
Gwalior, (M.P).

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 6th May, 1980, Constable Bachan Singh was sitting outside the Police Station after finishing his day's work. One Shiv Singh and about 5-6 of his associates had assembled at Shiv Singh's house close to the Police Station. In pursuance of the conspirarcy, they had manipulated a sequance of events under which the HCM of the Police Station had been enticed to visit Shiv Singh's house after sun-set. The HCM was murdered with knife and the Malkhana's keys in his possession were taken over by them. They also managed to dupe the Sentry on duty to leave his post at the Police Station and over powered him, snatched his rifle and committed yet another murder. With the keys of 'Malkahana', Sentiy was taken care of and expecting no resistance at the Police Station, the above desperadoes charged into the Police Station firing shots recklessly in all directions. Under the deluge of fire the men present in the Police Station being unarmed ran helter-skelter to save their lives. Shri Bachan Singh inspite of all odds against him knowing fully well that his life was in danger, challenged the dacoits. Shri Bachan Singh was shot dead by the dacoits.

Shri Bachan Singh, Constable, exhibited conspicuous gallantry devotion to duty and courage.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th May, 1980.

No. 41-Pres./84.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Manipur Rifles:—

Names and rank of the officers

Shri Yarwingam Tangkhul,
Jemadar, J. C. No. 181,
2nd Bn. Manipur Rifles.

Shri Chongholet Kuki,
Havildar No. 13228,
1st Bn. Manipur Rifles.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 17th July, 1983 consequent upon the arrest of Soraisham Ibomcha alias Ibocha alias Wanglen, a jail escapee from the police of Imphal District, a sizeable amount of arms and ammunition alongwith many other hard-core extremists of the PREPAK were recovered by the police at the instance of Wanglen.

During the course of further interrogation of Wanglen, he disclosed a hide-out where a group of PREPAK members were camping with sophisticated arms and ammunitions. On this information Jemadar Yarwingam Tangkhul formed a police party and rushed towards the hide-out of the extremists. The hide-out was surrounded by open and vast paddy fields. The entire police force was pinned down by the superior fire armament of the extremists. Despite odds against the police party, Jemadar Yarwingam Tangkhul and Havildar Chongkholet Kuki advanced by crawling through the bullets and returned the fire. Two extremists received bullet injuries and died on the spot. Thereafter, the two officers charged towards the hide-out of extremists. However, the remaining extremists managed to escape through bushes. Certain arms and ammunitions were recovered from inside the hide-out.

In this action Jemadar Yarwingam Tangkhul and Havildar Chongkholet Kuki exhibited conspicuous gallantry, leadership and devotion to duty.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 17th July, 1983.

S. NILAKANTAN,
Deputy Secretary to the President.

MINISTRY OF PLANNING

(DEPARTMENT OF STATISTICS)

New Delhi-110 001, the 23rd March 1984

No. A.13016/2/83-Coord.—In partial modification of this Department's Notification No. A 13016/2/83-Coord. dated the 3rd October 1983, the term of the Expert Committee, set up for reviewing the work done in the Central Statistical Organisation and assessing its quality and accuracy and suggesting specific measures of improvement, has been extended for a further period upto the 30th June 1984.

T. K. GUPTA, Dy. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 27th March 1984

RESOLUTION

No. DWI-04(84)/WP.—Government of India have decided to form the Development Panel for Wood-based Industries with the following composition for the period of two years from the date of issue of this Resolution :—

Chairman

1. Shri N. Biswas,
Deputy Director General,
D.G.T.D., New Delhi-110 011.

Members

2. Shri R. Sahay,
Joint Secretary,
Ministry of Industry,
New Delhi-110 011.

3. Shri A. N. Rao,
Industrial Adviser, DGTD,
New Delhi-110 011.

4. Shri P. P. Khanna,
Development Commissioner,
Small Scale Industries,
Nirman Bhavan, New Delhi-110 011.

5. Representative of the Planning Commission, New Delhi

6. Shri C. L. Bhatia,
Inspector General of Forests,
Ministry of Agriculture,
Krishi Bhavan, New Delhi-110011.

7. Representative of Directorate
General of Supply & Disposal (D.G.S. & D.),
New Delhi.

8. Director,
Indian Plywood Industries Research Institute,
P.B. 2273,
Tumkur Road, Bangalore-560022

9. Representative of the
Indian Standard Institution,
New Delhi.

10. President,
Federation of Indian Plywood & Panel Industry,
Indra Palace, H-Block,
Connaught Place, New Delhi.

11. President,
Plywood Manufacturers Association of West Bengal,
22, Strand Road,
Calcutta-700 001

12. President,
Particle Board Manufacturers Association,
9, Wallace Street,
Fort, Bombay-400 001.

13. Shri Arvind Joli',
M/s. Anil Hardboards Ltd.,
Laxmi Insurance Building,
1st Floor, Sir P. M. Road,
Bombay-400 001.

14. Shri P. D. Chutlangia,
M/s. Sharda Plywood Industries Limited,
Jeypore, Assam.

15. Representative of Andaman,
Plywood Manufacturers Association,
(Shri B. S. Khaitan),
C/o M/s. Andaman Timber Industries Ltd.,
Port Blair, Andaman.

16. Shri M. Thomas,
M/s. Sitapur Plywood Manufacturers Limited,
Sitapur, U.P.

17. Shri Abbas S. Vagh,
Managing Director,
M/s. Decorative Laminats (India) Pvt. Ltd.,
Yelwal Road, Belwadi,
Mysore-570 005

18. Shri T. K. Jacob,
M/s. Veneers & Laminations,
Cochin (Kerala).

19. Shri P. V. Mehta, Member-Secretary
Development Officer,
D.G.T.D., Udyog Bhavan,
New Delhi-110 011.

2. Terms of reference of the Panel would be as under :—

(i) To review the present status of plywood and other allied industries, perspectives for their future growth, estimates the demand and recommend steps to promote and develop the industry as per the future requirements;

(ii) To evaluate status of technology in the above industries and suggest measures for upgrading the same to bring it up to the desired level and suggest measures for modernisation; measures for development of designs/processes may also be suggested;

(iii) To suggest measures for rationalisation of varieties and sizes of the product as well as rationalisation of varieties and sizes of raw materials, components, consumables, etc. used by the industry;

(iv) To advise on norms for material and energy consumption, steps for reduction in the same, and to recommend measures for improvement of efficiency and productivity;

(v) To advise on the economic and desirable scales of production for different sectors of the industry;

(vi) To suggest measures for import substitution of the product, its raw materials and components;

(vii) To advise on steps for export generation;

(viii) To suggest any other aspects which the Panel deems important in the interest of the growth and development of the industry; and

(ix) To advise on pattern of regional development and growth of the industry, taking into account the sources of supply of raw materials and areas of consumption.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. D. CHATURVEDI
Director (Administration)

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 15th March 1984

RESOLUTION

SUBJECT :—*Continuance of the National Commission on Teachers up to* 30-9-1984.

No. F.7-13/84-PN.1.—In terms of para 4 of the Ministry of Education and Culture Resolution No. F.23-1/81-PN.2 dated 16-2-83, the Government of India has decided to allow the two National Commissions on Teachers to submit their report by 30-9-84.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all State Governments and Administrations of Union Territories and to all Ministries/Departments of the Government of India.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. P. SINHA, Under Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION

New Delhi, the 23rd February 1984

RESOLUTION

No. 19(2)/82-P.III.—In continuation of this Ministry's Resolution No. 19(2)/82-P.III dated 18th August, 1982, it has been decided to include Director, Snow Avalanche Study Establishment, Defence Research Organisation as a member of the High Level Technical Committee on Hydrology.

ORDER

ORDERED that the above Resolution may be published in the Gazette of India.

ORDERED that this Resolution be communicated to all the State Governments, Undertakings, the Private and Military, Secretaries to the President, Prime Minister's Office, Comptroller and Auditor General of India, the Planning Commission and all Ministries/Departments of Central Government for information

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and the State Governments be requested to publish it in the State Gazettes for General information.

K. R. CHANDRASEKHARAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1984.